बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

रोहतास जिला के नासरीगंज थाना कांड संख्या- 32/17 सुकहरा डेहरी पंचायत के श्री पवन कुमार, श्री विकास कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री पंकज कुमार एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज की गई है। यह एफ.आई.आर. गलत मंशा एवं गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। वस्तुत: गांव को शौचालय मुक्त बनाने के प्रयास के संबंध में कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसी पंचायत के दबंगों द्वारा पीटा गया था और इसकी सूचना नासरीगंज थाना को दी गई थी। हालांकी थाना ने तुरंत एफ.आई.आर. लेने से इंकार कर दिया लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, सी.डी.पी.ओ., पत्रकार एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर थाना ने उस समय तो मारपीट करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर लिया, परन्तु बाद में थाना कांड संख्या- 32/17 दर्ज कर निर्दोष लोगों को इसमें घसीट लिया गया है। थाना प्रभारी द्वारा जान-बूझकर निर्दोष लोगों, खासकर सरकारी अधिकारी, शिक्षक एवं जन प्रतिनिधियों को अनावश्यक रूप से प्रताडित करने की नीयत से ऐसा किया गया है। स्थानीय लोग इस घटना से मर्माहत हैं एवं उनमें आक्रोश व्याप्त है। जब तक इस घटना की जांच पुलिस एवं प्रशासन के उच्चतम अधिकारियों के स्तर से नहीं किया जाएगा एवं जांच कर दोषी थाना प्रभारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा एवं निर्दोष लोगों के विरूद्ध पुलिस की कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे पुलिस पदाधिकारियों द्वारा निरर्थक जनता परेशान होती रहेगी।

अत: थाना प्रभारी के कृत्यों की उच्चस्तरीय जांच करने, निर्दोष लोगों को मुक्त करने एवं दोषी लोगों के विरूद्ध कानून पर आधारित कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 147/2017– 569 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है फिर भी हमारे किसानों को बैंको से 25,00,000/- रुपए के कृषि ऋण लेने के क्रम में जब बंधक विलेख (Mortgage Deed) का निबंधन कराया जाता है, तो 75,000/- रुपए का मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि अन्य लोगों को 25,00,000/- रुपए के आद्योगिक वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण लेने के क्रम में बंधक विलेख के निबंधन हेतु 25,000/- रुपए मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क देना पड़ता है। यह एक विसंगति है।

उपर्युक्त विसंगति की ओर प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, परन्तु विभाग के स्तर पर इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके कारण लाखों गरीब किसान कृषि ऋण लेने से बंचित हो रहे हैं।

अत: मैं सरकार से उपर्युक्त वर्णित विसंगति को दूर करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिनेश प्रसाद सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 113/2017– 523 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखण्ड अन्तर्गत सेलार खुर्द, पकौली वदो, पकौली नारायण विषनपुरा, घूसापर आदि गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के अभाव में काफी असुविधा हो रही है। लोगों की सुविधा के लिए सेलार खुर्द में एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से सेलार खुर्द में जनहित में स्वास्थ्य सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना के लिए सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामवचन राय, स. वि. प.
ह./- जावेद इकबाल अंसारी, स.वि.प.
ह./- शिव प्रसन्न यादव, स.वि.प. एवं
ह./- मनोरमा देवी, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 112/2017 - 524 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अररिया जिलान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय कूडा टोला, तमघट्टी में दो शिक्षक के भरोसे 200 बच्चे पढ रहे हैं। गांव के बच्चों की दुर्दशा देख, साइकिल से दूध बेचने वाले रमजानी मियां ने पांच वर्ष पूर्व अपने गांव तमघट्टी कूडा टोला में स्कूल की नींव रखी थी, लोगों से बांस मांगकर इसे झोपड़ीनुमा स्कूल बनाया था। तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने भी मदद कर इस विद्यालय को सरकारीकरण भी कराया है, लेकिन यह रमजानी का विद्यालय आज भी उपेक्षित है। सरकारी उपेक्षा के कारण सरकारीकरण के चार साल बाद भी ना तो विद्यालय का भवन बना है और ना ही यहां के बच्चों को मध्याह्न भोजन ही मिलता है। विद्यालय को जमीन भी उपलब्ध है फिर भी बांस की टूटी-फूटी झोपड़ी में पठन-पाठन होता है। बरसात के दिनों में कक्षा में ही पानी गिरता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है।

अत: मैं सरकार से उपेक्षा का दंश झेल रहे इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण कराने, बच्चों का मध्याह्न भोजन आपूर्त्ति कराने तथा अन्य विद्यालयों की तरह विभागीय देय सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 114/2017– 526 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के समय से ही जिलों में विकास का कार्य पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला पर्षद के माध्यम से होता रहा था। सुनिश्चित रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन एजेंसी उपयुक्त् संस्थाएं भी थी। राज्य के सभी 38 जिला पर्षदों में तकनीकी कार्यालय कार्यरत है एवं पूर्व में इनके द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना तथा विधायक/ सांसद ऐच्छिक कोष योजना का सफल संचालन किया गया है परन्तु मनरेगा तथा 14 वां वित्त आयोग के लागू होने के पश्चात पंचायत समिति तथा जिला पर्षद को इन विकास योजनाओं की एजेंसी के कार्य से वंचित कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का सम्यक विकास बाधित हो रहा है।

अत: मैं पूर्व की भांति मनरेगा एवं 14 वां वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के साथ-साथ अन्य विकास योजनाओं में पंचायत समिति एवं जिला पर्षद को भी शामिल करने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हरिनारायण चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 115/2017– 525 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने राज्यों की आवश्यकता से बहुत कम शिक्षकों के होने की चर्चा की है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के आलोक में निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ने दिनांक- 15.01.2013 को राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग संचालित करने हेतु प्रस्ताव तथा विश्वविद्यालय के अधीन संचालित वैसे अंगीभूत महाविद्यालय जिसमें बी.एड. कोर्स संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्रदान की गई है, स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग संचालन हेतु अध्यापक शिक्षकों के पदों का सृजन हेतु प्रस्ताव की मांग की। इसके पश्चात् अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासी पत्र संख्या-1-6/2014 (सी.एम.) दिनांक- 30.06.2014 द्वारा यू.जी.सी. के द्वारा किए जा रहे विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना/ सुदृढीकरण प्रयासों के अनुक्रम में प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण के बारे में सात बिन्दुओं का अनुपालन करने का सुझाव सभी कुलपति/ निदेशक, शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसी आलोक में महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के ज्ञापांक- 1262-2, 4/13 दिनांक- 06.02.2013 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ लिखा गया। वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित शिक्षा विभाग में स्वपोषित योजनान्तर्गत बी.एड. कोर्स की पढ़ाई की जा रही है।

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पटना विश्वविद्यालय की भांति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग के संचालन की मान्यता देने तथा अध्यापक शिक्षकों के पदों का सृजन करने संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 117/2017– 529 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।